प्रेस विज्ञप्ति: तत्काल संचरण हेतु

जम्मू-कश्मीर की हिमायत योजना के कार्यान्वयन में नाबार्ड की कोई भूमिका नहीं है; नाबार्ड ने स्पष्ट किया

~ नाबार्ड ने दावा किया कि उसकी सहायक कंपनी 'नैबकॉन्स' हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट के लिए केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है।~

नई दिल्ली / जम्मू: 04 सितंबर, 2021: जम्मू में इन कुछ समाचार रिपोर्टों के प्रतिक्रिया स्वरुप कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) के अधिकारियों ने 2 सितंबर, 2021 को जम्मू में नाबार्ड के कार्यालय में छापेमारी की, भारत की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने स्पष्ट किया है कि **हिमायत (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित धन के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी कोई भूमिका नहीं है।** नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), जो नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है, ने नाबार्ड की ओर से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। नैबकॉन्स ने यह भी कहा है कि **ए.सी.बी. के अधिकारी नाबार्ड के नहीं बल्कि जम्मू में नैबकॉन्स के ऑफिस में गए थे।**

"कुछ अखबारों में छपी यह खबर कि ए.सी.बी. के अधिकारियों ने जम्मू में रेलहेड कॉम्प्लेक्स स्थित नाबार्ड के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय पर छापे मारी की, तथ्यात्मक तौर पर गलत और निराधार है। हम यह बताना चाहते हैं कि ए.सी.बी. के अधिकारियों ने नाबार्ड की सहयोगी कंपनी नैबकॉन्स के कार्यालय का दौरा किया था, **न कि नाबार्ड के कार्यालय का**। नैबकॉन्स के प्रबंध निदेशक श्री के वेंकटेश्वर राव ने कहा कि, "हिमायत मिशन को लेकर जो चर्चा हो रही है उसके चलते ए.सी.बी. अन्य एजेंसियों से पूछताछ कर रही है। उस सिलसिले में ए.सी.बी. के अधिकारीयों ने नैबकॉन्स के जम्मू स्थित कार्यालय में जाकर पुस्तकों का सत्यापन किया। इस मामले में नैबकॉन्स का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है।।" उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार ए.सी.बी. द्वारा सत्यापन किया गया था।

नैबकॉन्स ने बताया है कि वह केवल हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एच.एम.एम.यू.) और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक तकनीकी सहायता एजेंसी (टी.एस.ए.) के तौर पर और एक निगरानी रखने वाली एजेंसी की क्षमता में कार्य करता रहा है।

हिमायत योजना पर अपनी स्थिति को और भी स्पष्ट करते हुए, नैबकॉन्स ने बताया कि किसी भी लाभार्थी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुदान, ऋण या किसी भी प्रकार के धन को वितरित करने में उसका कोई अधिकार क्षेत्र या मान्य-स्थिति नहीं थी, और इसका एकमात्र काम हिमायत (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) के अंतर्गत किश्तों को वितरित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.) द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स को सत्यापित करना था। नैबकॉन्स ने ए.सी.बी. को टी.एस.ए. द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) के विषय में स्पष्टिकरण दिया है और अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करने हेतु उन्हें आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़ भी प्रदान किए हैं, श्री राव ने बताया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नैबकॉन्स को ग्रामीण कौशल विकास योजना, (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) की सुविधा हेतु सहायता प्रदान करने और निगरानी करने के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सी.टी.एस.ए.) के तौर पर नियुक्त किया गया है।